भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4634

21 अगस्त, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

सीपीडब्ल्यूडी आवासों का उन्नयन/नवीनीकरण

†4634. श्री सुधीर गुप्ताः

श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतरावः

श्री मनीष जायसवालः

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों को आवंटित आवासों में उन्नयन/नवीनीकरण का कार्य प्रगति पर है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) लोधी कॉलोनी, नई दिल्ली में टाइप-थ्री आवासों का ब्यौरा क्या है जिनमें 2023-24 और 2024-25 के दौरान उन्नयन या नवीनीकरण कार्य किया गया है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक फ्लैट के उन्नयन या नवीनीकरण पर कुल कितना व्यय हुआ है;

(घ) क्या अधिकारियों द्वारा ऐसे सभी आवासों में किए गए कार्यों का निरीक्षण किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या उक्त अवधि के दौरान आवंटियों से संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) आवास उन्नयन योजना, 2018 (एचयूएस-2018) के दिशानिर्देशों के अनुसार, सामान्य पूल आवासीय आवास (जीपीआरए) क्वार्टरों में उन्नयन/नवीनीकरण का कार्य निवासियों के अनुरोध पर किया जाता है। हालाँकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के दिनांक 08.03.2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18/25/2015-डब्ल्यू-आई/डीजी के मौजूदा मानदंडों के अनुसार, 60 वर्ष से अधिक पुराने सामान्य पूल आवासीय आवास (जीपीआरए) क्वार्टरों में उन्नयन कार्य नहीं किया जा रहा है। इन क्वार्टरों को नए आवंटियों के लिए रहने योग्य बनाने के लिए केवल न्यूनतम रखरखाव और आवश्यकता-आधारित मरम्मत कार्य ही किया जाता है।

(ख) और (ग) 2023-24 और 2024-25 के दौरान लोधी कॉलोनी के टाइप-III क्वार्टरों में कोई उन्नयन/नवीनीकरण कार्य नहीं किया गया है, क्योंकि ये क्वार्टर 60 वर्ष से अधिक पुराने हैं और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के दिनांक 08.03.2018 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार एचयूएस-2018 के दायरे से बाहर हैं। इसलिए, इस संदर्भ में कोई व्यय नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) लोधी कॉलोनी के टाइप-III क्वार्टरों में किए जाने वाले सभी रखरखाव और मरम्मत कार्यों का नियमित रूप से कनिष्ठ अभियंताओं द्वारा पर्यवेक्षण और निरीक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त, मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता और वर्तमान मानदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सहायक अभियंताओं द्वारा नियमित निरीक्षण और सीपीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंताओं द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है। इन क्वार्टरों में किए गए उन्नयन/नवीनीकरण कार्यों का औसत संतोषजनक स्तर 99.7% है।

*****